

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र:-

प्रारूप-6 परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित प्राध्यापक (विषय राजनीति विज्ञान) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम:- 50(1) के प्रावधानानुसार निम्नांकित कार्मिक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम संख्या-06 में अंकित दिनांक से निम्नांकित कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


| क्रस | नाम कार्मिक | जन्मतिथि | पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) | राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक |
|------|------------------|------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. | राम कुमार गोदारा | 15.07.1966 | खैरुवाला, श्रीगंगानगर | 23.12.1991 | 01.10.2021 |
| 2. | विधा चौधरी | 11.11.1967 | आदर्श नगर, पंचवटी सर्किल, जयपुर | 02.07.1993 | 01.10.2021 |

- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिकों से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिकों की होगी, का सम्बन्धित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

सत्यमेव जयते


(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.से.नि./31901/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक:- 16 / 11 / 2021

- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
- उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
- संबन्धित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..... ।
- संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..... ।
- संबन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक
- अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर ।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग ।
- निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:—कार्यालय आदेश—:

निम्नांकित प्राध्यापक (विषय— भूगोल) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने के कारण उनकी सेवाएं निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से समाप्त की जाती है।

| क्र. सं. | नाम कार्मिक एवं Employee ID | पदस्थापन स्थान राउमावि./राबाउमावि. | जन्मतिथि | निधन दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|----------|---------------------------------|---|------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KANAHIYA LAL (RJPA201229021732) | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KODKA RANIWARA (213720) JALOR | 10.08.1987 | 14.09.2021 | 14.09.2021 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक:—

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

Rajasthan Education Department



18.11.21

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:— 18/11/2021

क्रमांक:— शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवा समाप्ति/2017/510

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान।
- उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- संबंधित प्रधानाचार्य।
- संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/एसीआर प्रभाग को प्रेषित कर लेख है कि कन्हैयालाल, व्या. भूगोल के चयन वर्ष पीएससी-2015 (मेरिट क्रमांक-883) वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


:: प्रारूप - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा का निधन राजकीय सेवा में रहते हुए उनके नाम के सम्मने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर इन्हीं सेवाएं उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है:-

| क्र.सं. | नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान | विषय | जन्म तिथि | निधन दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|---------|--|----------------------------------|------------|-------------|------------------------|
| 21 | GYAN CHAND GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAKHER (218610) JAIPUR | Chemistry (Science Stream) | 04-04-1967 | 19-09-2021 | 19-09-2021 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।


18.11.21
(काना राम)

IAS
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 18.11.2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/सेवा-समाप्ति/2019-20
प्रति लिखित:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग.....।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मा. शिक्षा.....।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा.....।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि/राबाउमावि.....।
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि.....।
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एबी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (प्रभाग आर.सी)।
9. सिस्टम एनलिसट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)


कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ कालम 07 में अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।

| क्र. सं. | नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि | विषय | मृत्यू प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या | जन्मतिथि | निधन का दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|----------|--|--------|--|------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गोकुल राम, स्वामी का गांव-बाडमेर | इतिहास | 0811300600000903997 | 02.02.1966 | 07.10.2021 | 07.10.2021 |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक:-


- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाय विचारधीन/लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।


(काना राम)
आदेशाध्यक्ष
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/2021 दिनांक:- 18.11.2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 01 संबधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 02 संबधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 03 संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 04 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 05 संबधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा
- 06 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 07 संबधित शाला/संस्था प्रधान, को पावद किया जाता है कि संबधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवाए।
- 08 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एवी/वि.जाच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण/हितकारी निधि अनुभाग कार्यालय राजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 09 निजी / रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर